न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपीडी/टीए/5139/2004/भीलवाडा

भवंरलाल पुत्र चुन्नीलाल बिश्नोई निवासी दरीबा तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1 किशनलाल पुत्र कालूलाल (फौत) जरिये वारिसान
1/1 नर्बदा देवी बेवा किशनलाल बिश्नोई
1/2 नाथूलाल पुत्र किशनलाल बिश्नोई
1/3 भवानीराम पुत्र किशनलाल बश्नोई
1/4 लादीदेवी पुत्री किशनलाल पत्नी गोर्धनलाल बिश्नोई
1/5 तुलसी देवी पुत्री किशनलाल पत्नी गंगारमा बिश्नोई
1/6 रूकमा देवी पुत्री श्किानलाल पत्नी भगवानलाल बिश्नोई निवासी समेलिया सभी निवासीगण गांव दरीबा वाया पुर तहसील भीलवाडा
2 राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, माण्डल
3 अधिषाशी अभियन्ता सिंचाई विभाग, भीलवाडा

प्रत्यर्थीगण

खण्ड पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री पंकज नरूका, सदस्य

उपस्थितः श्री दुनीचन्द ढिंढारिया वकील अपीलार्थी।
श्रीमती पूनम माथुर अति0 राजकीय अभिभाषक।

निर्णय

दिनांकः.24.10.19

यह द्वितीय अपील धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा द्वारा अपील संख्या 87/03 में पारित निर्णय दिनांक 15.9.04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वादी अपीलार्थी ने एक वाद बाबत घोषणा का उपखण्ड अधिकारी, माण्डल के न्यायालय

में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा समेलिया की साबिक खसरा नम्बर 315 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 316 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा जिसके नवीन खसरा नम्बर 957 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा हैं जिसे वादी के पिता ने प्यारा, पन्ना पुत्र काना से क्रय की थी तब से वादी व उनके पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी छोटा था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई जिससे वह अपने चाचा प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के पास रहता था। विवादित आराजीयात मेजा डेम बनने पर अधिग्रहित की गई। परन्तु वादी व उसके पिता को कभी भी नोटिस नहीं दिया गया, कब्जा नहीं लिया गया एवं मुआवजा नहीं दिया गया। परन्तु बिलानाम दर्ज कर दी गई। पुनः नामान्तरकरण संख्या 156 दिनांक 7.12.83 से वादी व प्रतिवादी संख्या 3 किशनलाल के खातेदारी में दर्ज कर दी। किशनलाल का विवादित आराजी से कोई सरोकार नहीं है परन्तु साज कर अपना नाम दर्ज करा लिया। उक्त नामान्तरकरण संख्या 156 के विरूद्ध रेफरेन्स की कार्यवाही कर निरस्त करा दिया गया। विवादित आराजी पर खरीद के समय से ही वादी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः वाद डिक्री किया जावे। राज्य पक्ष ने जबाबदावा प्रस्तुत कर वाद का खण्डन किया। विचारण न्यायालय ने दावे व जबाबदावे के आधार पर तनकियात कायम की एवं निर्णय दिनांक 30.1.2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया। इसके विरूद्ध भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 15.9.04 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवाति आराजीयात को वादी के पिता चुन्नीलाल ने प्यारा, पन्ना पुत्र काना बिश्नोई से दिनांक 20.1.91 को पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी है एवं कब्जा प्राप्त किया है। सम्वत 2013 में विवादित आराजीयात पन्ना, प्यारा के खातेदारी में दर्ज रही है। विक्रय से वादी के पिता व उसके पश्चात वादी खातेदार हो गये। मेजा डेम निर्माण में विवादित आराजीयात अधिग्रहित की गई है परन्तु इसका मुआवजा वादी को नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने भी ऐसी भूमियों को उन्हीं खातेदारों को वापस आवंटित करने एवं गैर खातेदार दर्ज किये जाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार के परिपत्रों के आधार पर अपीलार्थी को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये गये थे जो राज्य सरकार ने रेफरेन्स कर निरस्त करा दिये जो अनुचित एवं निराधार है। राज्य सरकार के परिपत्रों एवं नियमों के अनुसार वादी अपीलार्थी की खातेदारी की भूमि अधिग्रहित की गई थी जो पानी नहीं होने पर काश्त हेतु वादी अपीलार्थी को वापस आवंटित की जानी आवश्यक है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

4. विद्वान अतिरिक्त राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क दिया कि विवादित आराजीयात कभी भी वादी अथवा उसके पिता के खातेदारी में दर्ज नहीं रही है। वादी द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वे विवादित आराजी के खातेदार होना साबित होते हों। विवादित आराजी कालूजी पिता भोलाजी बेटा चुन्नीलाल बिश्नोई द्वारा खरीदी गई हैं। वादी के पिता चुन्नीलाल द्वारा क्रय नहीं की गई है। विवादित आराजीयात अधिग्रहित होने पर बिलानाम दर्ज की गई है जो सही हैं। तहसीलदार द्वारा क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर नामान्तरकरण संख्या 156 स्वीकार किया गया जो रेफरेन्स में निरस्त किया जा चुका है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय समवर्ती हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जावे।

5. हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. वादी अपीलार्थी का अपने वाद में मुख्य तर्क यह रहा है कि विवादित आराजी उसके पिता ने वर्ष 1991 में पंजीकृत विक्रय पत्र से खरीदी है तब से वह काबिज है एवं खातेदार हैं। इस संबंध में वादी द्वारा प्रस्तुत विक्रय पत्र की प्रमाणित फोटो प्रति प्रदर्श पी–1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह विक्रय पत्र प्यारा, पन्ना वल्द कानाजी द्वारा कालूजी पिता भोलाजी बेटा चुन्नीलाल बिश्नोई के पक्ष में निष्पादित किया गया है। वादी के पिता के नाम चुन्नीलाल हैं। जबकि यह भोला पिता चुन्नीलाल के पक्ष में निष्पादित किया गया है। इसके साथ ही जमाबन्दी सम्वत 2013 प्रदर्श पी–9 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यह आराजीयात डूंगरसिंह वल्द सुलतनसिंह की माफी की थी तथा काना वल्द भीयां बिश्नोई का नाम कालम संख्या 4 काश्तकार के कालम में दर्ज है। इसके बाद की जमाबन्दी सम्वत 2020 से 2023 प्रदर्श पी–13 में विवादित आराजीयात राजकीय भूमि दर्ज हैं।

7. राजस्व अभिलेख से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात सम्वत 2013 के बाद से बिलानाम दर्ज चली आ रही हैं। वादी अपीलार्थी ने विवादित आराजीयात मेजा डेम निर्माण के समय अधिग्रहित किया जाना कथन किया है। ऐसी स्थिति में यदि विवादित आराजीयात मेजा डेम निर्माण के समय अधिग्रहित की गई हैं तो अधिग्रहण पश्चात बिलानाम राजकीय भूमि दर्ज किया जाना न्यायोचित हैं। ऐसी अधिग्रहित भूमि को किसी भी व्यक्ति के खातेदारी में दर्ज नहीं किया जा सकता। परन्तु उपलब्ध राजस्व अभिलेख से विवादित आराजीयात वादी अपीलार्थी से अधिग्रहित की जाना एवं वादी अपीलार्थी की खातेदारी में दर्ज रही होना साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वादी अपीलार्थी किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है। जिससे हम

अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं एवं यह अपील खारिज करना न्यायोचित समझते हैं।

8. अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा का निर्णय दिनांक 15.9.2004 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पकंज नरूका)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य